न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/रसद/41/2020

रोहताश शर्मा उचित मूल्य दुकानदार (14049) ग्राम पंचायत ऊंच तहसील नदबई जिला भरतपुर ।

......अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर।

.......रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दि0 05.12.2020 बावत निलम्बित करने प्राधिकार पत्र सरकार बनाम रोहताश शर्मा अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा अधिनियम ।

निर्णय **दिनांक 19.01.2021**

अपीलाण्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 05.12.2020 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को निलम्बित करने की आज्ञा पारित की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहत पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न मिसल है।

पत्रावली पर योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी भरतपुर का अपीलाधीन निलम्बन आदेश रिकार्ड व कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। अपीलान्ट मूलतः ग्राम पंचायत ऊंच का उचित मूल्य दुकानदार है। अपीलान्ट की दुकान के साथ ग्राम पंचायत भदीरा की उचित मूल्य की दुकान का भी अटैचमेंट है । अपीलान्टं द्वारा दोनों दुकानों का वक्त जांच लगभग 50 प्रतिशत सीडिंग कार्य कर लिया गया था। जिस मोबाइल नम्बर का उल्लेख प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी [illegible] वह मोबाइल नम्बर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दी गई दुकान के पूर्व राशन [illegible] है। ई.पी.ओ.एस. में वर्तमान में मेरा मोबाइल नम्बर 7737834000 [illegible] से कोई सम्पर्क नहीं किया गया और न ही मेरे बयान [illegible] पर प्रार्थी के पि[illegible] को बुलाकर अपीलान्ट के नाम से उनके बयान दर्ज कि[illegible] गए हैं। बयानों पर प्रार्थी के हस्ताक्षर न होकर प्रार्थी के पिता के ही हस्ताक्षर हैं। प्रार्थी के पिता को राशन

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:06:30 IST
Reason: SelfAttested

वितरण के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। अपीलान्ट के विरूद्व किसी भी उपभोक्ता की कोई शिकायत नहीं हैं। अपीलान्ट के विरूद्व की गई कार्यवाही गैर–कानूनी है। अतः जिला रसद अधिकारी का अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

पैरोकार रसद द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपीलान्ट को मौके पर बुलाने पर वह उपस्थित नहीं हुआ। अपीलान्ट द्वारा सीडिंग का कार्य सही ढंग से निष्पादित नहीं किया जा रहा है। इस कारण अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया है। पैरोकार रसद ने अपनी बहस में अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की है ।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। तहत पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट के नाम से दर्ज बयान में अपीलान्ट के हस्ताक्षर न होकर उसके पिता के हस्ताक्षर हैं, जो कि कानूनी प्रावधानों के विपरीत हैं। मौका रिपोर्ट में दर्ज मोबाइल नम्बर ई.पी.डी.एस. में दर्ज नहीं है, अपितु अपीलान्ट का सही नम्बर 7737834000 है, जिस पर अपीलान्ट को सूचित नहीं किया गया। अपीलान्ट का कथन कि वक्त जांच 50 प्रतिशत सीडिंग कार्य पूर्ण हो चुका था और वर्तमान में 85 प्रतिशत तक किया जा चुका है। अपीलान्ट के विरूद्व राशन सामग्री के वितरण में कोई अनियमितता नहीं पाई गयी है, और न ही अपीलान्ट/डीलर के विरूद्व किसी भी उपभोक्ता की शिकायत होना पाया गया है। यह तथ्य पैरोकार रसद द्वारा अपनी बहस में भी स्वीकार किया है। इस कारण अपीलाधीन आदेश समर्थन योग्य नहीं रहता है। अस्तु अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>अतः आदेश है कि</u>

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी भरतपुर का आदेश दिनांक 05.12.2020 निरस्त किया जाता हैं। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को भेजी जावे।

निर्णय आज दि0 19.01.2021 को लिखाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:06:30 IST
Reason: SelfAttested

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर